

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक

विषय – विभागान्तर्गत ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेक्निक, गोपालगंज के परिसर में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 200 KVA HTS-I विद्युत संबद्धता के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स सहित कुल रु. 4,55,000=00 (चार लाख पचपन हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक रवीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :— रवीकृता।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेक्निक, गोपालगंज के पत्रांक-323, दिनांक 17.10.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गोपालगंज द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर डिपोजिट वर्क अन्तर्गत संस्थान के परिसर में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 200 KVA HTS-I विद्युत संबद्धता के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स सहित कुल रु. 4,55,000=00 (चार लाख पचपन हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त रवीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य स्कीम बजट के “मुख्य शीर्ष-4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संरकृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104–बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0102–पोलिटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय” (विपत्र कोड 43 4202021040102) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गोपालगंज पत्रांक-1522, दिनांक 13.10.2018 में निहित शर्तों के अधीन उक्त स्वीकृत राशि से विषयांकित कार्य का सम्पादन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

6. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस स्कीम में राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छ: (6) माह में कर अग्रिम के सामायोजन हेतु अभिश्रव सहित विहित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, गोपालगंज को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ —
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) य^१ – 40 / 2012 –

/पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) य^१ – 40 / 2012 –

/पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) य^१ – 40 / 2012 –

/पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) य^१ – 40 / 2012 –

/पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) य^१ – 40 / 2012 –

/पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – प्राचार्य, ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेक्निक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) य^१ – 40 / 2012 –

3164 /पटना, दिनांक – 27/11/18

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
16/11/18

16/11/18